संख्या– 898 / 9–9–17–229ज / 06

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2017

विषय– नया सवेरा नगर विकास योजना का नाम परिवर्तित कर **"पं0दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना"** किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विगत वर्षो में प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मॉग पर **नया सवेरा नगर विकास योजना** से व्याज रहित ऋण के रुप में धनराशि स्वीकृत की जाती रही है।

2. प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नया सवेरा नगर विकास योजना का नाम परिवर्तित करते हुये " **पं0दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना"** कर दिया गया है। कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

18/9/17

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त, नगर आयुक्त,नगर निगम उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय)।
5. वित्त(व्यय–नियन्त्रण)अनुभाग–8।
6. समस्त अनुभाग, नगर विकास विभाग।
7. वेव मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।